C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XXV, Eleventh Session, 2017/1939 (Saka)
No. 2, Tuesday, July 18, 2017/Ashada 27, 1939(Saka)

S U B J E C T	P A G E S
REFERENCES BY THE SPEAKER	
Loss of lives in various tragic incidents	9-11
ORAL ANSWER TO QUESTION	
Starred Question No. 21	12-13
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 22 to 40	14-87
Unstarred Question Nos. 231 to 460	88-614

FELICITATIONS BY THE SPEAKER

Congratulations to ISRO Scientists and Indian Contingent of Asian Athletics Championship 615-616

PAPERS LAID ON THE TABLE 617-619

ASSENT TO BILLS 620-621

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
75th to 79th Reports 622

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS
204th Report 623

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
249th and 250th Reports 623

GOVERNMENT BILLS - Introduced

(i) Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017 624

(ii) Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017 625

(iii) Indian Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017 625-626

MATTERS UNDER RULE 377 627-653

(i) Regarding setting up of Semiconductor Fabrication Unit in Gujarat

Shrimati Jayshreeben Patel 628

(ii) Need to construct an elevated road at Chap Dhala railway crossing near Siwan Railway Station, Bihar

Shri Om Prakash Yadav 629

(iii) Need to restart the unit of National Textiles Corporation at Chalisgaon, Maharashtra

Shri A.T. Nana Patil 630

(iv) Need to undertake repair of PandhurnaWarud-Hathurna road declared as National Highway

Shri Ramdas C. Tadas 631

(v) Need to promote high-quality seeds with a view to increase agricultural productivity

Shri Lallu Singh 632

(vi) Need to set up adequate cold storages in Dindori parliamentary constituency, Maharashtra

Shri Harishchandra Chavan 633

(vii) Need to include Chhattisgarhi language in the Eighth Schedule to the Constitution

Shri Abhishek Singh 634

(viii) Need to shift the headquarters of Damodar Valley Corporation from Kolkata to Jharkhand

Shri Ravindra Kumar Ray 635

(ix) Need to review the closure of Dhanbad - Chandrapura railway line

Shri Ravindra Kumar Pandey 636

(x) Need to ensure training and development of entrepreneurship and employment opportunities based on organic farming, cultivation of fruits, vegetables and medicinal plants in Himalayan States

Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank' 637

(xi) Need to provide pesticides on subsidised rates to farmers of Churu parliamentary constituency, Rajasthan

Shri Rahul Kaswan 638

(xii) Need to develop Sasthamcotta railway station under Trivandrum division of Southern Railway

Shri Kodikunnil Suresh 639

(xiii) Need to provide central assistance to Maharashtra for waiving loans of farmers

Shri Rajeev Satav 640

(xiv) Need to revise the wages under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

Shri M. K. Raghavan 641

(xv) Need to provide direct disbursement of fertilizer subsidy to the farmers

Shri K. Ashok Kumar 642

(xvi) Need to simplify the filing of returns and increase the exemption threshold under GST

Shri V. Elumalai 643

(xvii) Need to regulate the flow of water in River Mahanadi in Odisha

Dr. Kulmani Samal 644

(xviii) Need to remove charges levied on withdrawals from ATMs and maintenance of minimum balance in bank accounts

Shri Shrirang Appa Barne 645

(xix) Need to amend section 108 of Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014

Shri Jayadev Galla 646

(xx) Need to undertake a railway survey for laying a new railway line connecting Kazipet and Karimnagar via Huzurabad in Telangana

Shri B. Vinod Kumar 647

(xxi) Need to reduce the tax slab under GST for assistive devices and appliances for physically challenged persons

Shri Y.V. Subba Reddy 648

(xxii) Need to review the proposed move to close down regional Offices of Rubber Board in Kerala

Shrimati P.K. Shreemathi Teacher 649

(xxiii) Need for capacity expansion of National Fertilizer Plant at Nangal, Punjab

Shri Prem Singh Chandumajra 650

(xxiv) Need to review the Santhal Pargana Tenancy Act

Shri Vijay Kumar Hansdak 651

(xxv) Need to grant the status of 'Rashtra Pita' to Dr. Bhimrao Ambedkar and Subhasha Chandra Bose

Shri Rajesh Ranjan 652

(xxvi) Need to allow celebration of Nag Panchami festival in Sangli district, Maharashtra

Shri Raju Shetty 653

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 655

Member-wise Index to Unstarred Questions 656-660

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 661

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 662

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, July 18, 2017/Ashadha 27, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

REFERENCES BY THE SPEAKER
Loss of lives in various tragic incidents

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 24 अप्रैल, 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 25 जवान शहीद हो गए और 6 अन्य घायल हो गए।

माननीय सदस्यगण, 22 मई, 2017 को यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में एक आतंकवादी हमले में 22 व्यक्ति मारे गए और 59 अन्य घायल हुए। 3 जून, 2017 को हुए एक अन्य आतंकवादी हमले में लंदन में 7 लोग मारे गए और 48 अन्य घायल हुए।

31 मई, 2017 को अफगानिस्तान के काबुल में डिप्लोमेटिक एनक्लेव के निकट हुए बम विस्फोट में 150 से अधिक लोग मारे गए तथा 21 अप्रैल, 2017 को मजार-ए-शरीफ में अफगान नेशनल डिफेंस फोर्सेज की 209 कॉर्प पर हुए एक हमले में 140 से अधिक अफगान सैनिक मारे गए।

यह सभा एक मत से और कठोरतम शब्दों में इन कायरतापूर्ण आतंकवादी हमलों की निंदा करती है और इन आतंकवादी हमलों मे निर्दोष लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट करती है तथा यूनाइटेड किंगडम और अफगानिस्तान के लोगों, संसदों एवं सरकारों के साथ एकजुटता व्यक्त करती है और ऐसे जघन्य हमले करने वाले लोगों को दंडित करने के उनके प्रयासों का समर्थन करती है।

माननीय सदस्यगण, 19 अप्रैल, 2017 को हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक बस के टोंस नदी में गिर जाने से 44 लोगों के मारे जाने और कई अन्य लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है।

एक अन्य दुःखद घटना में, 23 मई, 2017 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक बस के खाई में गिर जाने से 23 व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना मिली है।

माननीय सदस्यगण, 16 जुलाई, 2017 को जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 16 अमरनाथ तीर्थयात्रियों के मारे जाने और कई अन्य तीर्थयात्रियों के घायल होने की सूचना मिली है।

माननीय सदस्यगण, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भागों में भारी वर्षा के कारण आई भारी बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर संपत्ति को भारी नुकसान होने के साथ-साथ 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और कई अन्य लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है।

श्रीलंका में 25 और 26 मई, 2017 को दक्षिण-पश्चिम मानसून से हुई लगातार वर्षा के कारण बाढ़ और भूस्खलन से 200 से अधिक लोग मारे गए तथा संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके कारण लाखों

लोग प्रभावित हुए। यह सभा बांग्लादेश में 12 और 13 जून, 2017 को हुए अनेक भूस्खलनों में 150 से अधिक लोगों की मृत्यु पर भी अपना शोक व्यक्त करती है।

यह सभा इन आपदाओं पर श्रीलंका और बांग्लादेश के लोगों, संसदों और सरकारों के प्रति अपनी गहन संवेदना प्रकट करती है।

माननीय सदस्यगण, 7 जून, 2017 को हुई एक दुःखद हवाई दुर्घटना में म्यांमार सशस्त्र बलों के 122 कार्मिक तथा उनके परिवार के सदस्य मारे गए। 17 जून, 2017 को पुर्तगाल में भयंकर आग से 64 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हो गए।

यह सभा म्यांमार और पुर्तगाल के लोगों, संसदों और सरकारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है।

यह सभा इन दुःखद घटनाओं, जिनके कारण प्रभावित परिवारों को कष्ट और पीड़ा हुई है, उस पर गहरा दुःख व्यक्त करती है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन रहेगी।

11.04 hours

(The members then stood in silence for a short while.)

11.05 hours

(*At this stage, Shri K.C. Venugopal, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

… (*Interruptions*)

11.05 ½ hours

ORAL ANSWER TO QUESTION

HON. SPEAKER: Now, Question Hour. Question No. 21, Shri Radheyshyam Biswas – not present.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Honourable Minister, Paryavaran Mantri.

(Q.21)

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 o'clock.

11.06 hours

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

———

12.00 hours

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

FELICITATIONS BY THE SPEAKER

Congratulations to ISRO Scientists and Indian Contingent of Asian Athletics Championship

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जून, 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने जीसैट-19 (GSAT-19) उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए देश का अब तक का सबसे भारी राकेट GLV-MK(D) सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

ऐसा करके हमारे देश ने एक बार फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी दक्षता एवं क्षमता का प्रदर्शन किया है। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि ने हमें गौरवान्वित किया है।

यह सभा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सभी वैज्ञानिको को हार्दिक बधाई देती है जिन्होंने अपने कौशल और अथक परिश्रम से इसे सफल बनाया। सभा उनके भावी प्रयासों में सफलता की कामना करती है।

माननीय सदस्यगण, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भुवनेश्वर, ओडिशा में 6 से 9 जुलाई, 2017 तक आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, 2017 में भारतीय दल ने 12 स्वर्ण, 5 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 29 पदक जीतकर पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान हासिल करके इतिहास बनाया है।

यह उल्लेखनीय उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव का विषय है और हमारे सभी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी।

मुझे विश्वास है कि आप सभी मेरे साथ इस उपलब्धि के लिए भारतीय दल को बधाई देंगे।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have disallowed the Adjournment Motions.

… (*Interruptions*)

12.02 hours

(At this stage, shri Jai Prakash Narayan Yadav came and stood on the floor near the Table)

12.02 ½ hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid. Shri S.S. Ahluwalia.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): I beg to lay on the Table a copy each of the following Ordinances (Hindi and English versions) under article 123 (2) (a) of the Constitution:-

(1) The Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017 (No. 1 of 2017) promulgated by the President on 4th May, 2017.

(2) The Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Amendment Ordinance, 2017 (No. 2 of 2017) promulgated by the President on 1st July, 2017.

(3) The Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Ordinance, 2017 (No. 3 of 2017) promulgated by the President on 8th July, 2017.

(4) The Integrated Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Ordinance, 2017 (No. 4 of 2017) promulgated by the President on 8th July, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7060/16/17]

… (*Interruptions*)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आसूचना संगठन (अधिकार निर्बन्धन) अधिनियम, 1985 की धारा 6 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं.का.आ. 1548 (अ) जो 15 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 7061/16/17]

...(व्यवधान)

12.03 hours

(At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 20 of the Protection of Human Rights Act, 1993:-

(i) Annual Report of the National Human Rights Commission, India, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) Memorandum of Action Taken on the recommendations contained in the Annual Report of the National Human Rights Commission, India, New Delhi, for the year 2013-2014.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7062/16/17]

(3) A copy of the 47th Annual Assessment Report (Hindi and English versions) regarding Programme for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for various official purposes of the Union and its implementation for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 7063/16/17]

… (*Interruptions*)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 27 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल आफ माइंस), धनबाद के पहले परिनियम, 2017 जो 23 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 632(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 7064/16/17]

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI C.R. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table a copy of the Warehousing Development and Regulatory Authority (Electronic Negotiable Warehouse Receipts) Regulations, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.726(E) in Gazette of India dated 29th June, 2017 under Section 52 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 7065/16/17]

… (*Interruptions*)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री अरुण जेटली की ओर से 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017 प्रतिकर उपकर (दर), में संशोधन करने वाले स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ दिनांक 18 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 3/3017 - प्रतिकर उपकर (दर) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ताकि माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 8 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना में यथाउल्लिखित सिगरेट पर लगने वाले प्रतिकर उपकर की दर में 18 जुलाई, 2017 से वृद्धि की जा सके।

[Placed in Library, See No. LT 7066/16/17]

12.04 hours

ASSENT TO BILLS*

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I lay on the Table the following twelve Bills passed by the Houses of Parliament during the Eleventh Session of Sixteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 17th March, 2017:-

1. The Appropriation Bill, 2017
2. The Appropriation (No.2) Bill, 2017
3. The Finance Bill, 2017
4. The Appropriation (Railways) Bill, 2017
5. The Appropriation (Railways) No.2 Bill, 2017
6. The Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2017
7. The Central Goods and Services Tax Bill, 2017
8. The Integrated Goods and Services Tax Bill, 2017
9. The Union Territory Goods and Services Tax Bill, 2017
10. The Goods and Services Tax (Compensation to States) Bill, 2017
11. The Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill, 2017
12. The Taxation Laws (Amendment) Bill, 2017

* Placed in Library, See No. LT 7067/16/17.

I also lay on the Table copies, duly authenticated by the Secretary General, Rajya Sabha, of the following four Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:-

1. The Payment of Wages (Amendment) Bill, 2017;
2. The Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2017;
3. The Mental Healthcare Bill, 2017; and
4. The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2017.

… (*Interruptions*)

12.04 ½ hours

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
75th to 79th Reports

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं लोक लेखा समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

*(1) 'सीमा शुल्क पत्तनों जरिए आयात और निर्यात व्यापार सरलीकरण का निष्पादन' विषय पर 75वां प्रतिवेदन।

*(2) 'इंदिरा आवास योजना' के बारे में समिति के 43वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 76वां प्रतिवेदन।

*(3) 'केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर में अभियोजन और शास्तियों का लगाया जाना' के बारे में समिति के 63वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 77वां प्रतिवेदन।

*(4) 'दबाव वाली आस्तियों के स्थिरीकरण संबंधी निधि (एसएएसएफ)' विषय पर 78वां प्रतिवेदन।

*(5) 'आदर्श को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मुंबई' के बारे में समिति के 91वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 79वां प्रतिवेदन।

---

* These Reports were presented to Hon'ble Speaker, Lok Sabha on 29th April 2017, and 6th June 2017 under Direction 71A when the House was not in Session and the Speaker was pleased to order the Printing, Publication and Circulation of the Reports under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. The matter was duly notified *vide* Lok Sabha Bulletin Part-II dated 1st May 2017 and 12th June 2017.

12.05 hours

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS
204th Report

MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): Madam, I beg to lay on the Table the Two Hundred-Fourth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Home Affairs on Administration and Development of Union Territory of Lakshwadeep. … (*Interruptions*)

12.05 ½ hours

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
249th and 250th Reports

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture:-

(1) Two Hundred Forty-Ninth Report on 'The Merchant Shipping Bill, 2016.'

(2) Two Hundred-Fiftieth Report on 'The Major Port Authorities Bill, 2016.' … (*Interruptions*)

12.06 hours

GOVERNMENT BILLS - Introduced

(i) Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (RAO INDERJIT SINGH): On behalf of Shri M. Venkaiah Naidu, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952."
>
> *The motion was adopted.*

SHRI RAO INDERJIT SINGH: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2 dated 18.7.2017.

12.06 ½ hours

(ii) Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (DR. MAHESH SHARMA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958."

The motion was adopted.

DR. MAHESH SHARMA: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2 date 18.7.2017.

12.06 ¾ hours

(iii) Indian Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to declare the institution known as the Indian Institute of Petroleum and Energy to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to declare the institution known as the Indian Institute of Petroleum and Energy to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: I introduce** the Bill. … (*Interruptions*)

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2 date 18.7.2017.

** Introduced with recommendation of the President.

12.07 hours

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over text of the matter at the Table of the House within twenty minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table

(i) Regarding setting up of Semiconductor Fabrication Unit in Gujarat

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : गुजरात राज्य सरकार ने एनालॉग, डिजीटल और सोलर पीवी वेफर (P.V. Wafer Manufacturing) निर्माण के लिए इसके आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई की स्थापना के लिए मैसर्स N.O.V.F. II (नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स फंड II) से प्रस्ताव प्राप्त किया है। नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स फंड (एन.ओ.वी.एफ.) ने गुजरात में फैब और पारिस्थितिकी तंत्र इकाइयों को स्थापित करने के इरादे से संकेत दिया है कि 6 करोड़ डॉलर से ज्यादा के एक परियोजना के आकार के साथ जहां निवेश 5 वर्षों में फैल गया है। उसी प्रस्ताव को 9.12.2016 को भारत सरकार को भेजा गया है।

इसके बाद राज्य सरकार ने एम.ओ.एस., एन.ओ.वी.एफ. द्वितीय से भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रीकेशन मैन्युफैक्चरिंग सेट करने के लिए एन.ओ.वी.एफ. द्वितीय के उच्च स्तरीय डी.पी.आर. प्राप्त किया है और इसे भारत सरकार को 13.01.2017 को अपने अंतिम चरण में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। जहां तक एन.ओ.वी.एफ. द्वितीय राज्य सरकार से सहायता के लिए अनुरोध है, इस मामले की जांच राज्य सरकार द्वारा की जा रही है और एक बार निर्णय लिया गया है।

अतः मेरी मांग है कि एन.ओ.वी.एफ. द्वितीय की कार्रवाई पूरी करने के लिए राज्य सरकार से सहायता तथा आदेश दिया जाये।

(ii) Need to construct an elevated road at Chap Dhala railway crossing near Siwan railway station, Bihar

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जिला मुख्यालय सीवान के रेलवे स्टेशन के पास स्थित "चाप ढाला " एक मानव सहित रेलवे क्रॉसिंग है, जिसके कारण पूरे शहर में ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इसी रास्ते से शहर के किसी भी भाग में जाया जा सकता है। प्रतिदिन लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि "चाप ढाला " से दरोगा राय महाविद्यालय (लगभग तीन कि.मी.) के बीच अविलंब एक "एलिवेटड रोड " का निर्माण करवाया जाये ताकि लोगों को शहर के किसी भी भाग में आवागमन में सुविधा हो और उनकी समस्या का त्वरित समाधान हो सके।

(iii) Need to restart the unit of National Textiles Corporation at Chalisgaon, Maharashtra

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव) : देश में पी.पी.पी. मॉडल पर चल रहे टैक्सटाइल कारपोरेशन की लगभग 11 ईकाइयाँ बन्द पड़ी हुई है और इसी में चालीसगांव टैक्सटाइल मिल भी काफी समय से बन्द पड़ी है। इसे चालू करने में अत्यधिक देरी होने के कारण इस मिल में काम करने वाले कर्मचारी और उनके परिवार के हज़ारों सदस्य भुखमरी का सामना कर रहे हैं तथा वे लम्बे समय से न्यायालय में लम्बित मामले के फैसला आने तक इंतजार नहीं कर सकते। इस कारण इस क्षेत्र में बेरोज़गारी की समस्या ने काफी गंभीर रूप धारण कर लिया है। भुखमरी के शिकार इन कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की जिंदगी बचाने के लिए यह जरूरी है कि इस मिल को शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जाए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि हम लोग इस सम्बंध में इस मामले में संबंधित अधिकारी, विभिन्न यूनियनों के नेता और स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सांसद की एक बैठक कर चुके हैं, पर इस विषय में अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। मानवीय रूख अपनाते हुए आपस में परामर्श कर सौहार्दपूर्ण हल ढूंढने का प्रयास करें ताकि नेशनल टैक्सटाइल मिल की इस बन्द पड़ी इकाई को शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जा सके तथा मिल के भुखमरी के शिकार बेरोज़गार कर्मचारियों और उनके परिवार के हज़ारों सदस्यों की जान बचाई जा सके।

(iv) Need to undertake repair of Pandhurna-Warud-Hathurna road declared as National Highway

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा के पाण्डुरणा-वरूड-हाथुरना राज्यमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की घोषणा कर एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसके लिए माननीय पथ परिवहन मंत्री जी को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूँ कि यह पाण्डुरणा-वरूड-हाथुरना पथ की स्थिति बहुत ही खराब है। जब से यह राज्यमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित हुआ है, प्रदेश सरकार भी मरम्मत कार्य नहीं कर रही है। यात्रियों, ट्रकों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़क के बीच-बीच में गड्ढे बन गए हैं एवं बरसात होने के कारण कई दुर्घटनाएँ भी इस पथ पर घट गई हैं।

अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस पथ का निर्माण कार्य तत्काल शुरु कराने की कृपा करें या फिर मरम्मत का कार्य करवा दें, जिससे कि यह मार्ग आने-जाने लायक हो जाए एवं समयान्तराल राज्यमार्ग का कार्य युद्ध स्तर पर कराने का कष्ट करें।

(v) Need to promote high-quality seeds with a view to increase agricultural productivity

श्री लल्लू सिंह (फ़ैज़ाबाद) : भारत विश्व की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था होने के बावजूद यहाँ का किसान खेती के अलाभकारी होने के कारण आत्महत्याएं करने के लिए विवश हो रहा है। सरकारी स्तर पर किसानों को कर्ज़ उपलब्ध कराने की विशेष सुविधाएँ देते हुए गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष किसानों को एक लाख करोड़ रूपये का कर्ज़ देने की व्यवस्था की गई है। किन्तु फिर भी अभी 40 प्रतिशत से अधिक किसान परिवार निजी क्षेत्र की लोन व्यवस्था पर निर्भर हैं। 2016-17 में 272 मिलियन टन अनाज पैदा होने का अंदाजा है जो पिछले अनेक वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। विशेषज्ञों का मत है कि खाद्यान्न का अधिक उत्पादन देश की खाद्य समस्या निपटाने के लिए एक सीमा तक सहायक हो सकता है किन्तु किसान की व्यक्तिगत आर्थिक समस्या निपटाने में समर्थ नहीं है।

मेरा सुझाव है कि किसान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए खेती की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है। 2015-16 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा 310 नये खाद्यान्नों के बीज खोजे गये हैं जिनमें 155 गेहूँ, चावल आदि के, 50 तिलहन के, 43 दलहन के शेष अन्य खाद्यान्नों के हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इन नये शोधित बीजों को किसानों द्वारा खेती में उपयोग करने की व्यवस्था करें ताकि किसानों की उत्पादकता बढ़े और उनकी आय में बढ़ोतरी हो।

(vi) Need to set up adequate cold storages in Dindori Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : नियम 377 के माध्यम से मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी (महाराष्ट्र) में काफी अधिक मात्रा में अंगूर एवं अनार का एवं अन्य सब्जियों का उत्पादन होता है। किन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज आवश्यकता के अनुपात में बहुत ही कम है और उनके स्टोरेज करने की क्षमता भी कम है। जिसके कारण किसानों के करोड़ों रूपए के अंगूर, अनार एवं सब्जियाँ खराब हो जाते हैं जिससे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है एवं इसके फलस्वरूप किसान कर्जदार बन जाता है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। इसके लिए वर्तमान कार्यरत कोल्ड स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, उन्हें आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करना चाहिए।

सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी में अंगूर, अनार एवं अन्य सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज एवं कार्यरत कोल्ड स्टोरेज का विस्तार करने हेतु एवं उन्हें आधुनिक बनाने के लिए केन्द्रीय स्तर से इन कोल्ड स्टोरेजों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाए।

(vii) Need to include Chhattisgarhi language in the Eight Schedule to the Constitution.

श्री अभिषेक सिंह (राजनंदगांव) : छत्तीसगढ़ी भाषा, समृद्ध शब्दकोष और प्रचुर साहित्य वाली छत्तसीगढ़ राज्य की अधिकारिक राजभाषा है। छत्तीसगढ़ी भाषा में कविताएँ, नाटक, निबंध, शोध ग्रन्थ आदि सब कुछ लिखे गये हैं। 1885 में छत्तीसगढ़ी व्याकरण, श्री हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखा गया जिसका अंग्रेजी अनुवाद "Journal of Asiatic Society of Bengal" 1890 में प्रकाशित हुआ। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रशासनिक शब्दकोष प्रकाशित किया गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा की लिपि देवनागरी है। छत्तीसगढ़ी को बोलने और समझने वालों की संख्या आठवीं अनुसूची में शामिल कई भाषाओं को बोलने वालों से ज्यादा है। कई राज्यों का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ से कम है लेकिन उनकी भाषाएँ आठवीं अनुसूची में शामिल हैं जैसे केरल (मलयालम), गोवा (कोंकणी), मणिपुर (मणिपुरी) आदि। छत्तीसगढ़ी की महता केवल आंचलिक दृष्टि से नहीं बल्कि एक अत्यंत प्राचीन संस्कृति के इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। रामचरित्रमानस में भी छत्तीसगढ़ी के शब्द मिलते हैं जैसे बालकाण्ड में माखी, सोवत, जरहि, बिहार किष्किन्धाकाण्ड में पखवारा, लराई, वर्षा सुन्दरकाण्ड में सोरह, आगी, मंदुरी आदि। वर्तमान में भी बहुत से शब्द छत्तीसगढ़ी और हिन्दी भाषा के सामान रूप से उपयोग किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से निश्चित तौर पर हिन्दी भाषा और समृद्ध होगी और उसके विकास में सहयोग मिलेगा। देश के साहित्यिक विकास के साथ ही संस्कृति के संरक्षण में छत्तीसगढ़ी भाषा का असाधारण योगदान है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि छत्तीसगढ़ की राजभाषा छत्तीसगढ़ी जो लगभग पूरे राज्य में बोली और समझी जाती है, को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर उचित सम्मान दिया जाए।

(viii) Need to shift the headquarters of Damodar Valley Corporation from Kolkata to Jharkhand

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : डी.वी.सी. स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में अस्तित्व में आयी थी। भारत के जनमानस की धरोहर डी.वी.सी. अनियमित दामोदर नदी को नियंत्रित करने हेतु किये गये अथक प्रयासों के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। यह झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों को आवृत्त करते हुए 25000 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैली हुई है। डी.वी.सी. दामोदर घाटी निगम का अधिकतर कार्यक्षेत्र झारखंड में है, लेकिन खेद का विषय है कि इसका मुख्यालय कोलकाता में है, प्रत्येक कार्य के लिए अधिकारी/कर्मचारी व अन्य जनता को कोलकाता जाना पड़ता है, जिससे समय और धन की हानि होती है। जबकि परियोजना के सबसे ज्यादा वाले हिस्से में ही मुख्यालय होना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि डी.वी.सी. का मुख्यालय कोलकाता से झारखण्ड राज्य में स्थानांतरित किया जाए।

(ix) Need to review the closure of Dhanbad-Chandrapura railway line

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : 15 जून, 2017 से पूर्व-मध्य रेलवे अंतर्गत धनबाद-चन्द्रपुरा, जिसे डी.सी. लाइन के नाम से भी जाना जाता है, को रेलवे लाइन के नीचे आग होने के कारण दुर्घटना की आशंका के मद्देनज़र बंद कर दिया गया। रेलवे लाइन बंद होने से 34 कि.मी. के अंदर 14 स्टेशन एवं हॉल्ट के आस-पास करीब 5 लाख से भी ज्यादा की जनसंख्या प्रभावित हुई है। इस रूट पर औसतन प्रतिवर्ष करीब एक करोड़ से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। यह रूट झारखंड की राजधानी रांची को संथाल परगना सहित अन्य राज्यों से जोड़ती है। इस रूट पर कुल 26 जोड़ी एक्सप्रेस/पैसेंजर ट्रेनें चलती थीं। रेल लाईन बंद होने के बाद 19 ट्रेनों को स्थायी तौर पर बंद कर दिया गया और 7 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाता रहा है। इससे जहां इस क्षेत्र के लोगों में व्यापक आक्रोश है एवं विभिन्न पार्टियों/संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, वहीं रेलवे को करोड़ों रूपयों के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। उक्त रेलखंड के बंद होने से बी.सी.सी.एल. के विभिन्न परियोजनाओं से उत्पादित कोयले की ढुलाई प्रभावित हुई है। इस क्षेत्र से देश के विभिन्न पावर प्लांटों सहित अन्य राज्यों को भेजे जाने वाला कोयला पूर्णतः बंद है जिससे बी.सी.सी.एल. को अब तक करोड़ों रूपये का नुकसान हो चुका है। धनबाद-चन्द्रपुरा रेल खंड का पूरा भाग अग्नि प्रभावित नहीं है, फिर डायवर्जन का निर्माण बंद करने से पहले क्यों नहीं किया गया, जो आज करने की बात की जा रही हैi जब वर्षों से इस रेलखंड के नीचे आग होने की जानकारी रेलवे को थी, तो क्यों नहीं परिवर्तित मार्ग का निर्माण अथवा डायवर्जन का निर्माण रेल लाईन को बंद किए जाने से पहले किया गयाi

मेरा सरकार से आग्रह होगा कि रेल लाइन बंद किए जाने पर पुनः विचार किया जाए। साथ ही, डायवर्जन/ नया रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाने सहित बंद की गई सभी ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाए।

(x)Need to ensure training and development of enterpreneurship and employment opportunities based on organic farming cultivation of fruits, vegetables and medicinal plants in Himalayan States

डॉ रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : मैं सरकार का ध्यान देश के सीमावर्ती, पिछड़े दुर्गम, कठिन क्षेत्रों की तरफ दिलाना चाहता हूँ जहां पर बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। देश के हिमालयी क्षेत्रों के गांवों के लोग रोज़गार के अभाव में अपना घरबार छोड़कर अन्यत्र पलायन कर गए हैं। इसके कारण गांव के गांव खाली हो गए हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लोग सैन्य कर्मियों के पश्चात् द्वितीय पंक्ति में रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि हिमालय क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप वहां पर ऑर्गेनिक खेती, फ्लोरीकल्चर, फल प्रसंस्करण, सब्जी, फल, मसाला उत्पादन, जड़ी-बूटी उत्पादन, इको-टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वन आधारित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर प्रशिक्षण, रोज़गार एवं उद्यमिता विकास सुनिश्चित करना चाहिए ताकि क्षेत्र की आर्थिकी सुधरने के साथ-साथ पलायन भी रूक सके और हमारी सीमाओं के गांव खाली न हों।

(xi) Need to provide pesticides on subsidised rates to farmers of Churu Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री राहुल कस्वां (चुरु) : मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू के सुजानगढ़, बीदासर, तारानगर व राजगढ़ (चुरु) के अधिकांश गांवों में मोठ, बाजरा, ग्वार, तिलहन की फसलों में कातरा का प्रकोप सर्वाधिक मात्रा में है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार से सुजानगढ़, बीदासर (चुरु) व श्रीडूंगरगढ़, नोखा (बीकानेर) के गांवों में मूंगफली की फसल में सफेद लट्ट का प्रकोप है, जिससे मूंगफली की अधिकांश फसल नष्ट होने जा रही है, इस क्षेत्र में गत वर्षों में भी सफेद लट्ट का बहुत ही ज्यादा प्रकोप रहा था, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ था।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों को मूंगफली व खरीफ की अन्य फसलों को सफेद लट्ट व कातरे के प्रकोप से बचाने के लिए उच्च गुणवत्ता के कीटनाशी रसायन कृषकों को यथा समय अनुदान पर उपलब्ध करवाने का श्रम कराएं ताकि किसान की फसल बर्बाद होने से बच सके।

(xii) Need to develop Sasthamcotta railway station under Trivandrum division of Southern Railway

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): The Sasthamcotta Railway Station comes under the Southern Railway, Trivandrum Division and it is one of the most important Railway Stations used regularly by hundreds of commuters. The station building lacks several necessities, including Waiting Hall, Refreshment Counters, Restrooms, Tea Stalls, Waiting Room and Toilet facility for ladies. There is no drinking water facility available at the Station and a lack of fencing on both sides of the Station enhances risk for passengers. The platform shelter is very small, and it needs to be expanded to provide facility to the commuters. There is no reservation counter and touch screen facility and electronic Display Board has not been provided on the Station. The overall area of the Station is very small and very often it is congested.

I would urge the Government to allocate a sum of Rs. 5 crores for overall development of Sasthamcotta Railway Station on priority basis.

(xiii) Need to provide central assistance to Maharashtra for waiving loans of farmers

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महाराष्ट्र सरकार ने 24 जून, 2017 को किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की। किसानों का कर्ज माफ करने की दिशा में राज्य सरकार ने अब तक जो जी.आर. निकाले हैं, उससे महाराष्ट्र के किसानों को कर्ज माफी मिलना असंभव है। इस वजह से कर्ज में डूबा हुआ किसान दुखी और परेशान है। जब तक केंद्र सरकार अपनी ओर से राज्य सरकार को मदद नहीं करेगी तब तक किसानों का कर्जा पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता।

लोक सभा प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री जी ने फसल का मूल्य दोगुना करने का आश्वासन दिया था। दुर्भाग्यवश यह आश्वासन पूरी नहीं हुआ। एक तरफ किसानों की उपज को भाव नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ राज्य सरकार किसानों को कोई मदद नहीं कर रही है।

इसलिए मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र सरकार को किसान कर्ज माफी करने के लिए 34000 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

(xiv) Need to revise the wages under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): The MGNREGA was conceptualized to help the lowest of the down trodden with a minimum livelihood. It is now seen that even the unskilled agricultural workers in most of the States are getting more wages even at minimum level. The wages for the people governed under MGNREGA should be increased. For this Consumer Price Index-Rural should be made the yardstick since this is a better indicator of wage increase in rural areas. The increase in expenditure should not be a deterrent for increasing the wages under MGNREGA. The disbursement of low wages and delayed payments are affecting the livelihood of this section. Therefore, I urge upon the Government to ensure a revised higher wages and timely payment for those covered under MGNREGA immediately.

(xv) Need to provide direct disbursement of fertilizer subsidy to the farmers

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Direct disbursement of fertilizer subsidy to the intended beneficiaries is being rolled out through all the registered fertilizers manufacturers, wholesalers and retailers. A portion of the subsidy ranging from 5-15 % depending on the grade of fertiliser is given to manufacturers only when the retailer will acknowledge the receipt in the mobile fertilizer management system.

Mobile fertilizer management system expects capturing sale made by the retailer to the buyer or end user. This involves capturing sales details as well as buyers' details. There are many operational and implementation challenges such as identification of beneficiaries and determination of entitlement etc. This leads to exploring various options for handling these operational issues.

Benefits of direct subsidy to the farmers would check the corruption plug the loopholes and prevent wastage in subsidies. I, would, therefore, desire that the concerned department to expeditiously explore the usefulness of various identification instruments such as kisan credit cards, aadhaar cards, voter id card and bank accounts etc. for authentication of buyers.

(xvi) Need to simplify the filing of returns and increase the exemption threshold under GST

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): The rush to implement GST regardless of whether India's six crore small traders are ready, makes it most difficult tax reform to accept and adopt. The current tax structure is rather unwieldy as GST regime has seven effective tax rate slabs instead of the much proclaimed 'One Nation One Tax formula. Businesses will have to undertake 37 annual filings (three a month plus an annual return) for each state the firm operates in. With the unorganised sector shifting to the organised sector, a significant labour absorption capacity that currently exists may get eroded. This can compound the already chronic problem of job creation and unemployment in India. There is need to simplify the process of GST filing.

It is very sad to note that the Government has fixed GST on Kadalai Mittai, Peanut candy and Pickles at 18%. Likewise the GST on wet grinders, gadgets for physically challenged and the sanitary napkins are high. The Government should make these items as zero tax items for the benefit of people and respective sectors.

India has roughly six crore small firms, out of which a little over four crore firms don't own a computer or are not digitally literate. Operating costs are about to go up as business owners will have to hire accountants and computerise their operations. Under the GST regime, thousands of hitherto informal or unorganised MSMEs will shut shop for falling into the tax net. There is a need to increase the exemption threshold to one crore instead of 20 lakhs to protect MSME sector.

(xvii) Need to regulate the flow of water in River Mahanadi in Odisha

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): There is a need to monitor opening and closing of gates of all barrages and dams on River Mahanadi by the Central Government with the help of modern scientific technology and to impress upon the concerned States not to resort to such activities that reduce or enhance the water flow in the river substantially.

(xviii) Need to remove charges levied on withdrawals from ATMs and maintenance of minimum balance in bank accounts

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : 1 मार्च से देश भर के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी बैंकों ने 3 और 5 से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन करने पर ग्राहकों से अतिरिक्त चार्ज लेना शुरू कर दिया है और बैंकों के नए नियम के मुताबिक अलग-अलग बैंक अलग-अलग ट्रांजेक्शन पर कई तरह से चार्ज लगा रही है इसके साथ ही साथ बैंक ऐसे सर्विस पर भी चार्ज लगाने लगी है जो कि पहले फ्री थी।

इसके साथ ही साथ बैंक ग्राहकों द्वारा मिनीमम बैलेंस 5000 रूपये खाते में रखने का नियम बना चुकी है जहां एक ओर सरकार जनधन खाता खोल रही है वही बैंक अपनी मनमर्जी से चार्ज लगा रही है। इसके साथ ही साथ बैंक डिजीटल पेमेंट करने पर अलग से चार्ज लगाती है और इससे देश भर के बैंक ग्राहक बहुत नाखुश और रोष में हैं।

अतः सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देकर इस प्रकार बैंकों द्वारा लगाये जा रहे ट्रांजैक्शन चार्ज और मिनीमम बैलेंस को समाप्त किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश दें ताकि बैंक अपने इन नियमों को समाप्त करें।

(xix) Need to amend section 108 of Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Andhra Pradesh was divided exactly three years ago, but there are issues relating to irrigation, employees, apportionment of assets and liabilities, increase in Assembly seats, division of High Court, division of institutions, etc., which are yet to be resolved.

AP Reorganisation Act does not allow for any kind of arbitration on any dispute between AP and Telangana after 1st June, 2017, since section 108 of AP Reorganisation Act gives power to President to remove difficulties ended on 1" June, 2017. It means, now, even President has no power to decide on disputes between both States. Section 108 says:

> *"If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act. the President may, by order do anything not inconsistent with such provisions which appears to him to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:*
>
> *Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of three years from the appointed day".*

Since President is the head of the Constitution and it is the convention and practice to go to President for any dispute between the States, there is a need to extend Section 108 for, at least, two more years so that the above disputes can be resolved amicably between AP and Telangana. A letter by Government of Andhra Pradesh has also been written to Government of India in this regard.

Since Parliament is in session, I request Home Minister to immediately bring an amendment to AP Reorganisation Act and extend the period by two more years.

(xx) Need to undertake a railway survey for laying a new railway line connecting Kazipet and Karimnagar via Huzurabad in Telangana

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): To give a boost to freight operation and passenger movement in the State of Telangana, I request the Ministry of Railways to initiate a railway survey for laying a new railway line connecting Kazipet (SCR) and Karimnagar (SCR) via Huzurabad (SCR). If Kazipet and Karimnagar are linked through a railway line via Huzurabad, the trains coming from the south towards west can be routed through Kazipet-Karimnagar-Nizamabad to Nanded, Aurangabad and other parts of Maharashtra and Gujarat. The 70 km line will serve as a direct link between Karimnagar and Southern Indian States through Kazipet, rendering greater mobility to freight and passenger movement in the region.

In this way, Karimnagar will become a crucial connecting railway hub in the State of Telangana, which further underscores the importance of this proposed line.

(xxi) Need to reduce the tax slab under GST for assistive devices and appliances for physically challenged persons

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): There is no doubt, unlike any other Government in the past, this Government is very sensitive towards physically challenged persons and is doing everything possible for their welfare and wellbeing. But, it appears, the GST Council has other view-point on this section of the people. Different kinds of equipment for physically-challenged are mentioned under various Chapters of GST Act.

The House is aware that assistive devices for physically-challenged, right from Braille typewriters and Braille paper, Braille frames, slates, script writing guides to wheelchairs, urine collection bags, joint replacements, talking books, assistive listening devices, implants and other devices and instruments are now attracting 5% GST. But, at the same time, the inputs and raw-material for manufacturing these devices or equipment attract 18% GST. Even though the input tax is 18% and the final tax attracts 5% which otherwise means that the domestic manufacturer can claim refund, but I strongly feel that even this 5% pinches them the most.

Secondly, if you look at some of the orthopedic appliances, including crutches, surgical belts and trusses attract 12% and cars for physically-challenged attract 18%.

I feel that these slabs are on higher side and hence request the hon'ble Finance Minister and GST Council to bring them down to an acceptable level.

(xxii) Need to review the proposed move to close down regional Offices of Rubber Board in Kerala

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Proposed move of Rubber Board to close down a large number of its regional offices in the state would make the Rubber Board's services inaccessible for farmers. Of the approximate 44 regional offices of the Rubber Board in the country, around 25 are in Kerala. Kerala has 12 Lakh rubber farmers and 90 percent of the total rubber production is from Kerala. Farmers largely depend on these regional offices during replantation, cultivation assistance and for availing rubber subsidy.

The Board's decision to close down, merge and reduce the strength of rubber board offices in the state will affect the farmers. They are already facing an economic crisis due to the sharp fall in prices of natural rubber. Hence, I request the Government for immediate withdrawal of the move.

(xxiii) Need for capacity expansion of National Fertilizer Plant at Nangal, Punjab

SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA (ANANDPUR SAHIB): In my constituency Anandpur Sahib parliamentary constituency, (Punjab) N.F.L. Plant at Nangal township has production of 7 lakhs metric tonnes. The plant has extra land, building and other infrastructure. One year ago, previous Government sent a proposal for its expansion to 13 lakhs metric tonnnes with the cost of Rs. 5500 crores. The proposal lies with the Government of India. After Bank Guarantee, only Rs. 1100 crores are needed as equity fund in which Centre has share of only Rs. 900 crore and the share of Government of Punjab is Rs. 200 crore. The expansion of the said plant will fulfill the total consumption needs of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir. It will reduce export burden and save foreign exchange.

I would urge upon the Government of India to direct Government of Punjab to release its share money and Government of India should also make arrangement for their share of funds. The expansion of the N.F.L. Plant will create job opportunities and will be very beneficial for Punjab.

(xxiv) Need to review the Santhal Pargana Tenancy Act

श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) : मैं सरकार का ध्यान संथाल परगना टेनेन्सी एक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूँ। यह एक्ट झारखण्ड के छः जिलों दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज एवं जामतारा जिलों में लागू किया गया है। इस एक्ट को इस उद्देश्य से लाया गया, जिससे संथाल परगना के जनजाति लोग अपनी भूमि को संरक्षण अधिकार के रूप में प्राप्त कर सकें। यह एक्ट प्रथम बार अंग्रेजों के समय 1885 में लागू किया गया। इस एक्ट के लिए संथाल परगना के कई आदिवासी लोगों द्वारा आन्दोलन किया गया, जिसमें सैकड़ों आदिवासी मारे गए। इस आंदोलन के प्रेणता कान्हू मरमू को फाँसी हुई थी। इस संबंध में हर साल 30 जून को "हूल दिवस " मनाया जाता है। यह एक पुराना कानून है और इसमें कई संशोधन भी किए गए हैं, परंतु सरकार को खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इस आंदोलन का लाभ संथाल परगना को अभी तक नहीं मिला है। इस आंदोलन को राजनैतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। लगता है कि इसे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कानून को समुचित ढंग से लागू भी नहीं किया जा रहा है। मनमाने ढंग से कई एजेन्सियों ने केन्द्र को संथाल परगना टेनेन्सी एक्ट पर मिसगाइड किया है।

सरकार से अनुरोध है कि संथाल परगना पर जो संशोधन कार्य किए जा रहे हैं, उसके लिए निर्धारित समुचित नियमानुसार प्रणाली का उपयोग किया जाए, जो वर्तमान समय में नहीं हो रहा है। साथ ही साथ, मैं इस एक्ट की समीक्षा करने की अनुशंसा करता हूँ।

(xxv) Need to grant the status of 'Rashtra Pita' to Dr. Bhimrao Ambedkar and Subhasha Chandra Bose

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपेक्षित वर्ग का अद्वितीय रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्र निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर का विज़न और आधुनिक विश्व इतिहास के महानायक सुभाष चन्द्र बोस इन दोनों महान विभूतियों ने स्वतंत्र भारत के उज्ज्वल स्वरूप का सपना देखा था और उस सपने को साकार करने के लिए अपने-अपने जीवन की आहुति दी थी। देशवासियों को "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा " का नारा देने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के असली हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगर भारतीय राजनीति का कर्ण कहा जाए तो अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा। जैसे महाभारत में महाबली कर्ण के साथ जीवनपर्यंत यहां तक कि मृत्यु तक अन्याय होता रहा, उसी तरह नेताजी के साथ पूरे जीवनकाल ही नहीं, मृत्यु के बाद भी अन्याय पर अन्याय ही हुआ, वह भी उनके अपने देश में। वहीं ब्रिटिश हुक्मरानों की आंख की किरकिरी रहे सुभाष बाबू के खाते में केवल उपेक्षा, अपमान, पलायन और मौत ही आई। कहा जाता है- सुभाष बाबू के आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने की भारतीय युवकों में दीवनागी देखकर ब्रिटिश सरकार के होश भी उड़ गए थे। नेताजी की नीति और कार्यों को इस तरह पेश नहीं किया गया, जितना वह डिजर्व करते थे। इसी तरह से भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सामाजिक एवं धार्मिक योगदान के रूप में मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति-पाति, ऊँच-नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन (1927),, महाड सत्याग्रह (वर्ष 1928), नासिक सत्याग्रह (वर्ष 1930), येवला की गर्जना (वर्ष 1935), जैसे आंदोलन चलाये। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक पांच साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया था। निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला-पुरूष के लिए समान नागरिक हिन्दू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य के नीति-निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, कम्पट्रोलर व ऑडिटर जनरल, निर्वाचन आयुक्त तथा राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली सशक्त, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति बनाई। प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को स्वतंत्र और पृथक बनाया तथा समान नागरिक अधिकार के अनुरूप एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को प्रस्थापित किया।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वक्त के तकाजे को देखते हुए सुभाष बाबू के बलिदान एवं डॉ. अम्बेडकर के आधुनिक भारत के विजन को दृष्टिगत रखते हुए गांधी जी के साथ इन्हें भी राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान करते हुए भारतीय नोट पर इनकी भी तस्वीर छापी जाए, जो कि एक सच्चे देशभक्त के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

(xxvi) Need to allow celebration of Nag Panchmi festival in Sangli district, Maharashtra

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : हम सब देश भर के सभी प्रदेशों में मनाये जाने वाले पारंपरिक धार्मिक त्यौहारों को बढ़ावा देने का काम सदियों से करते आ रहे हैं। इससे राष्ट्रीय एकात्मकता को बढ़ावा मिलता है और यह जरूरी भी है। ऐसा ही कई वर्षों से नागपंचमी जैसा त्यौहार देश भर में नाग देवता के प्रति अपनी भक्ति (आदर) दिखाने के लिए मनाया जाता है। नाग देवता (साँप) का एक बड़ा त्यौहार महाराष्ट्र के सांगली जिले के शिराला में मनाया जाता है।

लेकिन बीते कई दिनों में कुछ पशु कल्याण संगठनों ने न्यायालय में इसी त्यौहार को लेकर शिकायत करने की वजह से इस त्यौहार पर न्यायालय ने पाबंदी लगाई है। इस वजह से यह त्यौहार मनाने के लिए इस इलाके में नागरिकों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके में इस त्यौहार को देखने के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों से पर्यटक आते हैं। इस वजह से स्थानिक लोगों के रोज़गार में बढ़ोत्तरी होती है। लेकिन फिलहाल न्यायालय की पाबंदी की वजह से इसमें रूकावट पैदा हुई है।

मेरा सरकार से पुरज़ोर अनुरोध है कि नागपंचमी का त्यौहार मनाने के लिए कानून में जो कुछ संशोधन करके इस त्यौहार को कानूनन इज़ाजत अगर दिलवाई जाती है तो इस प्रदेश के नागरिकों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम साबित होगा।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. on Wednesday, the 19th July, 2017.

12.08 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 19, 2017/Ashadha 28, 1939 (Saka).